नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 129.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक), भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक उनका संबंध उप निदेशक के पद से है का, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में उप निदेशक के पद में भर्ती की पद्धति के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार, उप निदेशक (समूह 'क' पद) भर्ती नियम 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—इससे संबद्ध पद की संख्या, इनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वही होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वही होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वे उसके लिए जो कारण हैं, उन्हे लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संबंध में आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
उप निदेशक ।	9* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स रू० 67700-208700 में स्तर-11 ।

चयन अथवा अचयन पद।	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**
(5)	(6)	(7)
चयन ।	लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति- भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा ।**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा, इसमे न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	**प्रोन्नति** :- सहायक निदेशक और सहायक निदेशक (बीजलेख) जिसने वेतन मैट्रिक्स रू० 56100-177500 के स्तर-10 के उस श्रेणी में नियमित आधार पर पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित बीजलेख प्रबंधन या संचार प्रबंधन का पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। **टिप्पण 1.-** प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची, अधिकारियों द्वारा अपने-अपने ग्रेड या पद में विहित अर्हक सेवा के पूर्ण होने की तारीख के संदर्भ में तैयार की जाएगी । **टिप्पण 2.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति**: केंद्रीय या राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) मूल संवर्ग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों; या

			(ii) वेतन मैट्रिक्स रू० 56100-177500 के स्तर-10 में या समतुल्य वेतनमान में मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ और अनुभव रखते हों,- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार या कम्प्युटर या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी में स्नातक या प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री; या भौतिकी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर की डिग्री; के साथ रेडियो संचार या कंप्यूटर संचार या उपग्रह संचार में पाँच वर्ष का अनुभव; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स या दूरसंचार या कंप्यूटर या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी में स्नातकोत्तर या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री; के साथ रेडियो संचार या कंप्यूटर संचार या उपग्रह संचार में तीन वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्त पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(12)	**(13)**
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

1. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय – अध्यक्ष; 2. निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार – सदस्य ; 3. निदेशक (प्रशासन), गृह मंत्रालय – सदस्य।	

[फा. सं. ए. 11016/1/आर. आर (डीडी)/2020-प्र.II]

राजेश कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 26th September, 2024

G.S.R. 129.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Co-ordination Police Wireless (Additional Director, Joint Director and Deputy Director) Recruitment Rules, 2007 in so far as they relate to the post of Deputy Director except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to post of Deputy Director in the Directorate of Co-ordination Police Wireless, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement**.–(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Co-ordination Police Wireless, Deputy Director, Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in pay matrix.–**The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc**.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.–No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.–Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.–Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Deputy Director.	09 * (2024) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level - 11 (Rs. 67700-208700) in the pay matrix.

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(5)	**(6)**	**(7)**
Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/absorption, grades from which promotion or deputation /absorption to be made.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**
Not applicable.	Not applicable.	Promotion failing which by deputation.	**Promotion:** Assistant Director and Assistant Director (Cipher) in the Level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed course in Cipher Management or Communication Management as prescribed by the competent authority. **Note 1.-** The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade or post. **Note 2.-**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation:** Officers under the Central Government or State Government or Union Territories,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis post in level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely- (i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology in Electronics or Telecommunications or Computer or Information Technology or Masters

			degree in Physics or Computer Applications from a recognised University or institute with five years experience in Radio Communication or Computer Communication or Satellite Communication; or Master of Engineering/Master of Technology in Electronics or Telecommunication or Computer or Information Technology from a recognised university or institute with three years experience in Radio Communication or Computer Communication or Satellite Communication. **Note 1.-**The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3.-** The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(12)	**(13)**
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :- 1. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs –Chairman; 2. Director, Directorate of Coordination Police Wireless –Member; 3. Director (Administration), Ministry of Home Affairs –Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.11016/1/RR(DD)/2020-AD.II]

RAJESH KUMAR SINGH, Under Secy.